

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ मध्यप्रदेश

विध्याचल भवन भोपाल

क्रमांक / साख / एपी / 2016 / 1742

भोपाल, दिनांक 4. 3. 2016

आदेश

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1960 की धारा 55(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं मनीष श्रीवास्तव, पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल के सेवायुक्तों के (नियोजन, निबन्धन तथा कार्यस्थिति) सेवा नियम की अनुसूची-5 की कंडिका-B एवं मानव संसाधन नीति की कंडिका 6 में आंशिक संशोधन संलग्न परिशिष्ट अनुसार प्रतिस्थापित करता हूँ।

उक्त आदेश आज दिनांक 4/3/16 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।



क्रमांक / साख / एपी / 2016 / 1742
प्रतिलिपि,

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री, सहकारिता म.प्र. शासन भोपाल।
 2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 3. मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल, म.प्र.।
 4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल।
 5. राजपत्रित अधिकारी, (समस्त) मुख्यालय भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(मनीष श्रीवास्तव)

पंजीयक

४६ सहकारी संस्थाएं म.प्र.

भोपाल, दिनांक 4. 3. 2016

40(1)
८

८८०

८

३१९

पंजीयक

४६ सहकारी संस्थाएं म.प्र.

बैंक सेवानियम की अनुसूची – 5 की कंडिका – B में संशोधन

पदनाम	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान	संशोधन का कारण / रिमार्क
Banking Assistant	Assistant Accounts Officer, General Assistant, Computer Operator, Steno Typist, Junior Assistant (Dying cadre) and other posts in the equivalent Pay scale.	Assistant Accounts Officer, General Assistant, Computer Operator, Steno Typist, Junior Assistant (Dying cadre) and other posts in the equivalent Pay scale.	पूर्वानुसार निधारण के कारण

10 % of the total sanctioned strength shall be filled up from amongst eligible Bank's Support Staff (Sub-ordinate staff)

90 % of the total sanctioned strength shall be filled up by direct recruitment by the selected agency like IBPS.

15 % of the total sanctioned strength shall be filled up from amongst eligible Bank's Support Staff (Sub-ordinate staff)


85 % of the total sanctioned strength shall be filled up by direct recruitment by the selected agency like IBPS.

अग्रभाग
मात्र
५१७१६

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, उत्तरप्रदेश

बैंक सेवानियम की मानव संसाधन नीति की कंडिका 6 में संशोधन

वर्तमान प्रावधान			संशोधित प्रावधान			संशोधन का कारण / रिमार्क
पद	सीधी भर्ती	पदोन्नति से भर्ती	पद	सीधी भर्ती	पदोन्नति से भर्ती	पूर्वानुसार निर्धारण के कारण
सपोर्ट स्टॉफ	100 प्रतिशत	—	सपोर्ट स्टॉफ	100 प्रतिशत	—	
बैंकिंग सहायक	90 प्रतिशत	10 प्रतिशत	बैंकिंग सहायक	85 प्रतिशत	15 प्रतिशत	
कनिष्ठ प्रबंधन ॥	—	100 प्रतिशत	कनिष्ठ प्रबंधन ॥	—	100 प्रतिशत	
कनिष्ठ प्रबंधन ।	25 प्रतिशत सीधी भर्ती 25 प्रतिशत विभागीय भर्ती	50 प्रतिशत	कनिष्ठ प्रबंधन ।	25 प्रतिशत सीधी भर्ती 25 प्रतिशत विभागीय भर्ती	50 प्रतिशत	
मध्यम प्रबंधन ॥	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	मध्यम प्रबंधन ॥	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	
मध्यम प्रबंधन ।	10 प्रतिशत	90 प्रतिशत	मध्यम प्रबंधन ।	10 प्रतिशत	90 प्रतिशत	
वरिष्ठ प्रबंधन ॥	—	100 प्रतिशत	वरिष्ठ प्रबंधन ॥	—	100 प्रतिशत	
वरिष्ठ प्रबंधन ।	—	100 प्रतिशत	वरिष्ठ प्रबंधन ।	—	100 प्रतिशत	



आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
 सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश
 ५१७१६.

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
 सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश